

भारतसरकार, वित्तमंत्रालय,  
राजस्वविभाग,  
केंद्रीयअप्रत्यक्षकरऔरसीमाशुल्कबोर्ड  
Government of India  
Ministry of Finance, Department of  
Revenue  
Central Board of Indirect Taxes and  
Customs  
commr-cexdaman@nic.in



सत्यमेव जयते

Ph: 0260-2460305

आयुक्तकाकार्यालय

केंद्रीयवस्तुएवंसेवाकर, दमणआयुक्तालय

Office of the Commissioner  
Central G.S.T. & C.Ex, Daman  
Commissionerate

वस्तुएवंसेवाकरभवन, आर. सी. पी. कम्पाउंड,

वापी-३९६१९१

G.S.T. Bhavan, RCP Compound, Vapi-  
396191

Fax:0260-2460484

**स्थापना आदेश सं.:12/2022****वापी, दिनांक: .03.2022****ESTABLISHMENT ORDER NO.12/2022****VAPI, DATED: .03.2022**

**विषय:** सीजीएसटी और सीई, दमन आयुक्तालय, दमन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के लिए संपर्क अधिकारी के नामांकन हेतु।

**Subject:** -Nomination of Liaison Officer for work relating to the representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disabilities in the CGST & CE, Daman Commissionerate, Daman- matter/regarding.

\*\*\*\*\*

आरक्षण संबंधी आदेशों के प्रवर्तन और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए, इस कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी प्रतिष्ठानों और सेवा मामलों के संबंध में, सीजीएसटी और सीई, दमन आयुक्तालय के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक संपर्क अधिकारियों के रूप में नामित किया जाता है:

For enforcement of the orders on reservation and for safeguarding the interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disabilities employees, in respect of all establishments and service matters under the administrative control of this office, the following officers of CGST & CE, Daman Commissionerate are nominated as Liaison Officers with immediate effect and until further orders:

Sl. No.	Name of the Officer (Smt/Shri)	Designation	Liaison Officer for Category
1.	Amit Kumar	Additional Commissioner	OBC Employees
2.	S. N. Meena	Assistant Commissioner	SC/ST/PWD Employees

2. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त कार्य में संपर्क अधिकारियों की सहायता करने के उद्देश्य से निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर एक प्रकोष्ठ का सृजन किया जाता है।

2. Further, a cell consisting of following officers is created for the purpose of assisting the Liaison Officers in the above work.

Sl. No.	Name of the Officer (Smt./Shri)	Designation	Present Place of Posting
1.	Amresh Ranjan	Superintendent	Division VI (S)
2.	Babita Meena	Superintendent	HQ Establishment

3. यह आदेश आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,दमण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
3. This issues with the approval of the Commissioner, CGST & CE, Daman.

(डॉ. सुशांत आर. पाटील)  
(Dr. Sushant R. Patil)  
उपायुक्त (का.व स्था.)  
Deputy Commissioner (P&E)  
वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,दमण  
CGST & CE, Daman.

वापी, दिनांक: .03.2022

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

1. अवर सचिव (Ad.III.B), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 5 वीं मंजिल, हुडको, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
3. संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.), वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क,वडोदरा ज़ोन, वडोदरा.
4. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी और सीई, वडोदरा I/II//दमन और सूरत, वडोदरा (ऑडिट), वडोदरा (अपील), सूरत (ऑडिट) और सूरत (अपील)
5. आयुक्त के निजी सहायक, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
6. अपरआयुक्त(निवारक), वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
7. अपरआयुक्त(का.व स.), वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
8. सभी उप/सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दमण.
9. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दमण.
10. मुख्य लेखा अधिकारी, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दमण.
11. सभी अनुभाग अधिकारी, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
12. अधीक्षक, सिस्टम विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के अनुरोध के साथ.
13. सम्बन्धित व्यक्ति.